5 28/1/25

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी0 आर0 नं0– 1017/2024

मानिकपुर थाना काण्ड संख्या 68/2024

18.01.2025 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक 27.11.2024 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1.कमलदेव यादव 2. कमलजीत यादव 3.रंजीत कुमार के *विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 323, 341, 337, 504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 122/24 दिनांक 27.11.2024 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। मामले में प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जख्म प्रतिवेदन, आरोप पत्र ,कांड दैनिकी के पैरा– 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 23, 30, 33, 36, 37, 40, 41का अवलोकन किया। जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय यह पाती है की जख्मी रेखा देवी को Left ring finger cut about 2 inch Length and 1/8 inch depth Due to HBS. Bleeding From nose & swelling at vomer area. Occipital Hematoma 2inch x 1/2 inch. जख्म पाया गया है इससे प्रतीत होता है की जख्म की प्रकृति के अनुसार जख्म गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले मे धारा 325 भा0 द0 वि0 भी आकर्षित होती है। तत्पश्चात् न्यायालय मामले के अभियुक्तगण 1.कमलदेव यादव 2. कमलजीत यादव 3.रंजीत कुमार के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 323, 325 341, 337, 504/34 में प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाती है और अभियुक्तगण* ***1.कमलदेव यादव 2. कमलजीत यादव 3.रंजीत कुमार के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 323, 341, 337, 325, 504/34 में संज्ञान*** *लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करे।*

वाद दिनांक–17/3/25 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

Manish Kumar

(मनीष कुमार पाण्डेय) 18-1-25

(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

अरवल।

Scanned with OKEN Scanner